

SOP FOR PASSENGERS ARRIVING FROM MAHARASHTRA (MUMBAI) AND KERALA AT VARANASI AIRPORT

- 1. TAKE YOUR LUGGAGE FROM BELT NO-2**
- 2. PROCEED TO THE COVID COUNTER FOR SCREENING.**
- 3. IF YOU HAVE NEGATIVE RT-PCR TESTING DONE AT ICMR ACCREDITED LABS DONE WITHIN LAST 72 HRS, THEN YOU WILL BE EXEMPTED FROM TESTING AND WILL UNDERGO 7 DAYS HOME QUARANTINE.**
- 4. KINDLY INFORM ABOUT ANY SYMPTOMS LIKE FEVER, COUGH OR BREATHLESSNESS AT THE COUNTER.**
- 5. SUBMIT YOUR SAMPLE, IF TESTED NEGATIVE, PASSENGER WILL UNDERGO A MANDATORY 7-DAYS HOME QUARANTINE.**
- 6. IF TESTED POSITIVE, THEN KINDLY PROCEED ACCORDING TO THE UTTAR PRADESH STATE GUIDELINES.**
- 7. SYMPTOMATIC PASSENGER WILL HAVE TO UNDERGO MANDATORY RT-PCR TESTING. THEY WILL BE KEPT IN HOME ISOLATION TILL REPORT CAME NEGATIVE (WITHIN 24-48 HRS).**
- 8. RAPID ANTIGEN TEST WILL BE FREE OF COST TESTING, BEING DONE BY UP STATE HEALTH DEPARTMENT.**

APHO INCHARGE
LBSI Airport
Varanasi

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त निदेशक, एयरपोर्ट
(उ०प्र० के अर्न्तगत)
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 24 मई, 2020

विषय-घरेलू उड़ानों के प्रारम्भ होने पर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों हेतु प्रोटोकॉल।


महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 25.05.2020 से घरेलू उड़ानों का परिचालन प्रारम्भ हो रहा है। उक्त के अनुक्रम में प्रदेश के हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1. आने वाले समस्त यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक <https://reg.upcovid.in> पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करेंगे। यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जाए।
2. प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुये स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का संलग्नक-1 में निर्दिष्ट विवरण अंकित करके पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे ई-मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा इस एसएमएस या पीडीएफ की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। <https://reg.upcovid.in> लिंक पर पंजीकरण में कठिनाई होने पर यात्री 1800-180-5145 पर फोन कर सम्पर्क करें।
3. हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्पले की जांच करने के उपरान्त ही यात्रियों को हवाई अड्डे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी। यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जाएगा। डिस्पले की जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री नो-कान्टैक्ट प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं।

4. सभी यात्रियों को सलाह दी जाएगी कि वे हर समय सोशल डिस्टेंसिंग/हैंड वाशिंग उपायों का कड़ाई से पालन करें तथा मास्क/फेस कवर पहनें। किसी भी परिस्थिति में समूह में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
5. जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारेन्टाइन किया जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारेन्टाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। घर के बाहर पोस्टर चिपकाने सहित होम-क्वारेन्टाइन के बारे में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश, मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति द्वारा सामुदायिक निगरानी-तंत्र लागू होंगे। स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु जाँच के पश्चात होम-क्वारेन्टाइन में छूट देने हेतु अधिकृत होगा। आगमन के 6वें दिन आगन्तुक के द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा तथा निगेटिव आने पर होम क्वारेन्टाइन समाप्त कर दिया जाएगा।
6. यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम-क्वारेन्टाइन की पर्याप्त व्यवस्था (उस व्यक्ति हेतु पृथक शौचालय सहित) न हो तो उसे इन्स्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा।
7. जो यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तथा यहाँ से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं अथवा वापस जा रहे हैं तो उन्हें अगली/वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इन्हें क्वारेन्टाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे यात्रियों को हॉट-स्पॉट के कन्टेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी।
8. यदि वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन का उपलब्ध कराएंगे। प्रभारी द्वारा ऐसे स्थान का नियमित रूप से सेनीटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण विकसित होने की स्थिति में इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर-1800-180-5145 पर दी जाएगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जाएगा।
10. पंजीकरण से संबन्धित डाटा/सूचना को आवश्यक निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ दैनिक आधार पर साझा किया जायेगा। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।


संख्या-1150(1)/पॉच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3. प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


24.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

4

Annexure - 1

<https://reg.upcovid.in>

Airport Traveler Registration Form

Government of Uttar Pradesh

A. Traveler Details

- Traveler Name
- Age
- Gender
- Mobile Number
- E-mail
- Are you travelling with family?
- Family Member Details
- Arrival Date
- Return Date
- Mode of Return Journey

B. Traveler's Local stay Address

- Local Contact Person Name
- Local Contact Person Phone Number
- City
- District
- Full Address
- Pin Code

C. Travelling from

- State
- District